



आवेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तरक १६४१ का नियम १२६)

शिविर

आदेश पत्रक

ता० से तक

जिला...

से 1965 सन १६
सन १५३६

केश का प्रकार दा० स्वा० वाद स०

आदेश की क्रम
सख्या और
तारीख

अतिरिक्त अधिकारों का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

1832

आज दिनांक 18.3.94 को राजस्व कार्य के निस्तार के

प्रसंग में ग्राम ७५४ गि.क. (वि.ए.) १५२१०० ब्रह्मा दानापुर (पटना) में

आयोजित कैंप में श्री मनी सुनीला कुमारी

महोदय श्री ... गणेशाय नमः प्रभु

ग्राम सोनगढ़ थाना बुरही जिला जाहलगाँव

ने निम्नलिखित, जमीन का नामांतरण हत आवेदन-पत्र दिया है जिसे वसीका

संख्या 1375 दिनांक 11.1.85 प्रति से इन्होंने

श्री गुरुदेव गुरुदेव सदाशिव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव

— इति गाराणा. मिह.

ग्राम श्री विष्णुनाथाना माधवपुर जिला.... पाली...से कर किया है।

जमीन विवरण

मोगा	धाना एवं धाना नं०	तोजी नं०	साता नं०	खसरा नं०	रकबा
२१/११	२०		१४५ १४५	५०	११५५ ४५

विक्रेता का नाम
एवं बसीका सं०

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन को मांग करें।

अभिलेख दिनांक ३४३५६ को उपस्थित करें

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

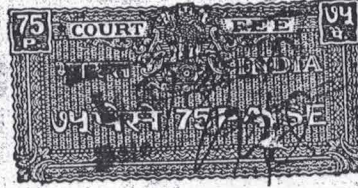
(१) रेंयती है ।

(२) आवेदक के पण दखल में है।

(३) जमाबन्दी

के नाम से कायम है ।

943.56



(२)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	इनकी अनुशंसा नामांजन हेतु है। कंमा में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांजन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है। अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर अवदक पक्ष में नामांजन की <i>रुकी हुई</i> हो जाती है। शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति रासुख अभिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे। लेखापति <i>Guar</i> अंचल-अधिकारी दानापुर <i>Free 31/8/76</i> <i>शिवपूरी पांडे</i> 11-11-76 12	<i>शुद्धि-पत्र</i> <i>31/8/76</i>



बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
नामान्तरण जांच प्रतिवेदन



January 10, 2024

नामान्तरण मुकदमा संख्या : 4940R27 /2023 - 2024					
बिदा का नाम	Patna	अनुमोदित नाम	Danapur	अर्जेंट का नाम	Danapur
मौजा का नाम	पटौत	बाना नाम	01	बाना नाम	Patna
लेखासंख्या नं०	9415	लेखासंख्या दिनांक	14/06/2023	परिवर्तन प्रकार	Sale/Purchase
खता नं०	रैयत नाम			प्लॉट नं०	रकबा
305	विक्रेता का नाम 1)KUSUMPURAM SAHKARI GRIH NIRMAN SAMITI LTD, पता/वाप/अब् -HARI NARAYAN SINGH, बलि- N/A, पता SHEKHPURA PATNA.] क्रेता का नाम (SRI AVINASH KUMAR पता/वाप/अब् -SRI LAL NARAYAN SHARMA, बलि- N/A, पता- Sonbhadra, Jehanabad, Bihar)			50	नामान्तरण पूर्व खता 0 एकड़ 11.13 डिगमील 0 सेक्टर नामान्तरण पश्चात खता 0 एकड़ 0.008 डिगमील 0 सेक्टर नया खता 0 एकड़ 11.122 डिगमील 0 सेक्टर
लपान अनुपुक्ति 20					

कर्मचारी रिपोर्ट

खता नं०	305
हल्का का नाम	पटना एम कारपोरेशन
प्लॉट नं०	59
मूल खतिबान रैयत का नाम	अधिवान उपलब्ध नहीं है।
जमान्दी रैयत का नाम	KUSUMPURAM SAHKARI GRIH NIRMAN SAMITI LTD-पता/वाप/अब् -HARI NARAYAN SINGH
विक्रेता/दाता का नाम	KUSUMPURAM SAHKARI GRIH NIRMAN SAMTEE LTD (SECRETARY SRI PANKAJ KUMAR)
जमान्दी रैयत से विक्रेता/दाता का संबंध	स्वयं
जमान्दी अधिपति खता पत्नी 2 की विल्ट संख्या	भाग नं० 10 गृह संख्या नं० 29465
यदि आवेदित भूमि संयुक्त खते की है तो क्या विक्रेता/दाता ने अपने अंग को जमान्द विक्रेता/दान की है	नहीं
केवाला में वर्णित भूमि का खरा, खेसरा, रकबा एवं चौकी की जांच राजस्व अधिलेख से किया गया	हाँ
जमान्दी संख्या जमान्दी रैयत, खता, खेसरा, रकबा एवं चौकी का जांच किया एवं सही पाया	हाँ
दाखिल छायाचित्र के अधिलेख के साथ केवाला की छायाचित्र, विक्रेता का लगन रसीद की छायाचित्र अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए अद्वैत की छायाचित्र संलग्न है	नहीं
प्रश्नगत भूमि धार्मिक-सामाजिक प्रयोजनो तथा मंदिर, मस्जिद, सराना पाट, कमिस्तान इत्यादि के लिए उपयोग नहीं की जा रही है / की जा रही है	नहीं
प्रश्नगत भूमि पर आवेदित का शक्तिपूर्ण भौतिक दखल कच्चा है	हाँ
प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित कोई स्वत्ववाद (टाइटल सूट) न्यायालय से लंबित है अथवा नहीं	नहीं
प्रश्नगत भूमि विवादित है / नहीं है / अथवा भूमि से सम्बंधित कोई विवाद हो तो उसका विवरण	नहीं
आवेदित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है।	जमान्द
आवेदित भूमि की वर्तमान संपन्न कृषि/पकान/अवसाविक/पत्तो	पत्तो
क्या उक्त भूमि रैयत खते की है। गैलबुज्जा खास गैलबुज्जा मालिक, गैलबुज्जा आबं खासगलत, भूखंडबन्दी एवं भूदान से मुक्त है	हाँ
क्या भूमि निबन्ध केवाला / दान उत्तराधिकार / बट्टेन / बेटवारा / बन्दोबस्ती से प्राप्त है	हाँ
कर्मचारी का मतलब	प्रतिवेदित भू-खंड का जमान्दी विक्रेता के नाम से कराय है, अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा मूल वसीका के स्वयं अवालोकोप्रांत तथा आम / खास तथा जमान्दी रैयत को विधिवत सुचनोपरांत यदि कोई भी आपत्ति प्राप्त न हो तो नियमानुसृत आवश्यक कार्यवाई की जा सकती है।

कर्मचारी का हस्ताक्षर
Approved By : Ashlok Kumar

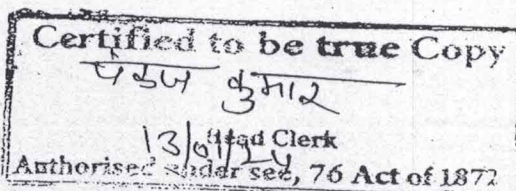
राजस्व अधिकारी का मतलब: राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर एवं आम खास सूचनोपरांत आपत्ती रहित होने पर नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकती है।

राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर

Approved By : VISHWAJEET KUMAR



Hand



तुलना कता

(Duplicate Copy):RPTCO2879415 10-Jan-2024

तिथि Jan 3 2024

आदेश



अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने राजस्व अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदानुसार आवेदित जमीन मौजा धनौत थाना Patna

खाता	प्लॉट	रकबा
305	59	0 एकड़, 11.122 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

बिक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
KUSUMPURAM SAHKARI GRIH NIRMAN SAMTEE LTD (SECRETARY SRI PANKAJ KUMAR)	पिता/बाप/अबू	SRI HARI NARAYAN SINGH

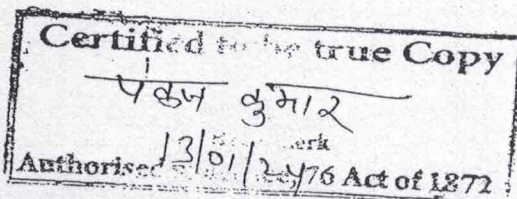
है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या/शपथ पत्र 9415 दिनांक Jun 14 2023 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
KUSUMPURAM SAHKARI GRIH NIRMAN SAMITI LTD	पिता/बाप/अबू	HARI NARAYAN SINGH

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। अतः वार्षिक लगान 20 रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by : AMRIT RAJ BANDHU
अंचलाधिकारी Danapur



तुलना कर्ता

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
Danapur, Patna
दाखिल-खारिज शुद्धि-पत्र

न्यायालय अंचल अधिकारी- AMRIT RAJ BANDHU, अंचल- Danapur, जिला- Patna, हलका- 14
एम कारपोरेशन, राजस्व ग्राम- धनौत, राजस्व थाना संख्या- 20, दाखिल-खारिज वाद संख्या एवं वर्ष
4940/2023 - 2024 में अंचलाधिकारी के आदेश के उपरान्त निम्नलिखित भूमि खारिज की जानी है:

वाद के निष्पादन के उपरान्त खारिज की जाने वाली भूमि का विवरण				
जमाबंदी रैयत का विवरण		जमाबंदी रैयत के भूमि का विवरण		
KUSUMPURAM SAHKARI GRIH NIRMAN SAMTEE LTD (SECRETARY SRI PANKAJ KUMAR), पिता/बाप/अबू -SRI HARI NARAYAN SINGH, जाति-N/A, पत्ता-Shekhpora, P.s- Shastrinagar, Patna - 14		वर्तमान भाग संख्या	पेज संख्या	खाता संख्या
		10	29465	305
				खेसरा संख्या
				59
		11.122 डिसमील		

अंचलाधिकारी के आदेश के उपरान्त खारिज की गयी भूमि नया जमाबंदी भाग संख्या- 90, एवं पृष्ठ
संख्या- 79 पर संचारित की गयी है। नयी जमाबंदी के रैयत तथा भूमि का विवरण निम्नलिखित है:

वाद के निष्पादन के उपरान्त दाखिल की जाने वाली भूमि का विवरण				
नए जमाबंदी रैयत का विवरण		नया जमाबंदी के भूमि का विवरण		
(SRI AVINASH KUMAR पिता/बाप/ अबू -SRI LAL NARAYAN SHARMA, जाति-N/A, पत्ता- Sonbhadra, Jehanabad, Bihar)		खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
		305	59	11.122 डिसमील
		चौहद्दी		
		पूरब -Society Plot No. 36/167 and c35/166		
		पश्चिम -Survey Plot No.- 55		
		उत्तर -Society Plot No. F2/161		
		दक्षिण -Survey Plot No. 57		

Approved By : AMRIT RAJ BANDHU

अंचल अधिकारी

Danapur



बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अंचल अधिकारी का कार्यालय
Danapur, Patna

Duplicate Copy
09/01/2024

आदेश

जिला : Patna अंचल : Danapur
दाखिल खारिज केस संख्या : 4940 वित्तीय वर्ष : 2023 - 2024

तिथि
03-Jan-2024

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा धनौत, थाना सं० 20

खता सं०	प्लॉट/खेसरा सं०	रकबा
305	59	0 एकड़, 11.122 डिसमील, 0 हेक्टर
का बिक्रेता		
विक्रेता का नाम		
KUSUMPURAM SAHKARI GRIH NIRMAN SAMTEE LTD (SECRETARY SRI PANKAJ KUMAR)		
रिश्ता	अभिभावक का नाम	
पिता/	SRI HARI	
बाप/अबू	NARAYAN SINGH	

है। जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या- 9415, दिनांक- 14/06/2023 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
KUSUMPURAM SAHKARI GRIH NIRMAN SAMITI LTD	पिता/बाप/ अबू	HARI NARAYAN SINGH

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रीय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

आमा खास सूचना निर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व पदाधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज की अनुशंसा की गई है। अतः दाखिल खारिज स्वीकृत की जाती है। अगर व्यथित पक्ष चाहें तो इस आदेश के विरुद्ध अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में दायर कर सकता है।

अतः वार्षिक लगान 20 रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by :
AMRIT RAJ BANDHU
अंचलाधिकारी
Danapur